न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

निग 2550-I-16

1. धन्नू काछी तनय नुआ काछी,

2. रामप्रसाद तनय नुआकाछी,

3. सूरज बाई पत्नि पुन्ना काछी,

सभी निवासी- कन्पुर, तह0 बल्देवगढ़, जि0 टीकमगढ़ म0प्र0

.... आवेदकगण.

// विरूद्ध //

म0 प्र0 शासन .... अनावेदक.

निग0प्र0क्र0- ता0 प्रस्तुति-

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-रा0 संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महो0 जिला टीकमगढ़ .. म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक- 370/स्व0निग0/ 2002-2003 में पारित आदेश दिनांक- 10.01.2005 से परिवेदित होकर निम्न लिखित अनुसार माननीय के समक्ष प्रस्तुत है :-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, नायब तहसीलदार कुड़ीला, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के द्वारा आवेदकगण को ग्राम कन्नपुर, प0 ह0 नं0- 45, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ में खसरा नंबर- 33 एवं 35 की रकबा 4.986 एकड़ भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत अपने प्रकरण क्रमांक- 632/अ-19 (84)/ वर्ष 1994-95 में पारित आदेश द्वारा पट्टे पर प्रदान की गयी थी तथा उक्त आवेदकगण को प्रारूप- "ग" में विधिवत उपरोक्त पट्टा भूमि का व्यवस्थापन कर पट्टा प्रदान किया गया था।

2. यह कि, आवेदकगण ने तभी से उपरोक्त पट्टा भूमि पर काफी मेहनत कर एवं रूपया खर्च करके उक्त भूमि पर बंधिया बंधान डाली एवं उसे

...2.

(जितेन्द्र सिंघई
ES.
94251-71223)

रामप्रसाद

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2557 पी/II जिला ......ग्वालियर......

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.7.16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ म0प्र0 के प्र.क्र. 370/स्व.निग./वर्ष 02–03 में पारित आदेश दिनांक 10/1/05 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2– आवेदकगण के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 3– आवेदकगण के तर्क में कहा गया कि ग्राम कन्नपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 33 एंव 35 भूमि का पट्टा आवेदकगण को दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदकगण का कब्जा लगभग 40 वर्ष से चला आ रहा है। आवेदकगण का कब्जा दर्ज होने के आधार पर नायब तहसीलदार कुडीला द्वारा प्रकरण क्र 632/अ–19(4)/95–96 आदेश दिनांक 18/6/96 को आवेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित कर भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किए जाना का विधिवत् आदेश पारित किया गया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रृटि नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना मात्र अनुविभागीय अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा की कार्यवाही प्रारंभ कर विवादित आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	म.प्र. शासन के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिए गए है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 4— आवेदकगण की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व किए गए व्यवस्थापन को शून्य किए जाने वावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गयी है जबकि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र.राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजाचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इंडिया एस.एस.सी.44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के.गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि म.प्र.राज्य तथा अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रतिपादित किया है। अतः उन्होने निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 5— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण का कब्जा 2/10/1984 में ना होने के कारण प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में लिया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1996 में किया गया है एंव प्रस्तावित कार्यवाही 2005 में की गयी ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—1—05 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार कुडीला का आदेश दिनांक 18/6/1996 स्थिर रखा जाता। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	